पत्रांक–9/सै0–विविध (जमाबंदी डिजिटाईजेशन)–07/2022–2397(9)/रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह, भा0प्र0से0
अपर मुख्य सचिव।

ई–मेल

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 28.08.2024

विषय :– बिहारभूमि पोर्टल पर डिजिटाईज्ड नहीं किये गये जमाबंदी को "परिमार्जन प्लस" पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– (i) विभागीय पत्रांक–1426(9), दिनांक–05.06.2024
(ii) विभागीय पत्रांक–2153(9), दिनांक–08.08.2024

महाशय,

आप अवगत हैं कि राज्य के आम नागरिकों एवं भू–धारियों को सुविधा प्रदान करने एवं भूमि संबंधी मामलों के निष्पादन में तीव्रता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा ऑनलाईन पोर्टल https://biharbhumi.bihar.gov.in/ विकसित किया गया है।

2. जमाबंदी पंजी के ऑनलाईन डिजिटाइजेशन के क्रम में कतिपय डिजिटाईज्ड जमाबंदियों में रैयतों के नाम, पिता के नाम, जाति, पता, खाता, खेसरा, रकबा एवं लगान इत्यादि से संबंधित विवरणी में परिलक्षित अशुद्धियाँ/त्रुटियाँ के सुधार हेतु "परिमार्जन प्लस" पोर्टल में Module को Live किया जा चुका है। इस संबंध में "परिमार्जन प्लस" पोर्टल लागू होने के उपरांत रैयत द्वारा ऑनलाईन की गयी पुरानी जमाबंदी में सुधार हेतु आवेदन किये जाने की प्रक्रिया, इसकी प्रारम्भिक जाँच एवं निस्तार की प्रक्रिया संबंधी विस्तृत दिशा–निदेश पूर्व से **विभागीय पत्रांक–1426(9), दिनांक–05.06.2024 के द्वारा** संसूचित हैं।

3. परिमार्जन की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए दिशा–निर्देश भी विभागीय पत्रांक–2153(9), दिनांक–08.08.2024 के द्वारा संसूचित है।

4. द्वितीय चरण में बिहार भूमि पोर्टल पर वैसे परिमार्जन के लिए Module Live किया गया है, जिसमें रैयत की जमाबंदी Digitized नहीं हुई है। इसके अंतर्गत प्राप्त आवेदन में निम्न प्रकार के मामले हो सकते हैं–

(क) रैयत की जमाबंदी ऑफलाईन पंजी में उपलब्ध है, परंतु किसी कारणवश पूर्व में इसे Digitized नहीं किया जा सका है। ऐसी स्थिति में रैयत द्वारा दिए गए आवेदन एवं अन्य साक्ष्य तथा मूल जमाबंदी पंजी में उपलब्ध जमाबंदी की विवरणी के अनुसार जमाबंदी को ऑनलाइन किया जाएगा। इस मामले में मूल जमाबंदी पंजी में दर्ज विवरणी में अगर किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता हो यथा– जाति, खाता–खेसरा की त्रुटि अथवा छूट गए खाता–खेसरा को अंकित करना, रकबा में किसी प्रकार की त्रुटि या लगान की त्रुटि तो उसे रैयत द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के आधार पर ऑनलाइन करते वक्त ही सुधार कर दिया जाएगा। डिजिटाईज्ड जमाबंदी में रैयत के नाम/पिता के नाम की प्रविष्टि मूल जमाबंदी के अनुरूप ही किया जायेगा। इसके लिए उसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो पूर्व में निर्गत दो पत्र, जिसका उल्लेख प्रसंग में किया

गया है, में दिया जा चुका है। इन मामलों में डिजिटाईज्ड करते वक्त अंचल कार्यालय द्वारा मूल (ऑफलाईन) जमाबंदी की PDF प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(ख) दूसरे प्रकार के मामले वैसे हो सकते हैं जिसमें रैयत की जमाबंदी मूल पंजी में अपठनीय/जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है अथवा उसका पन्ना उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यदि आवेदक द्वारा पूर्व में जमाबंदी होने से संबंधित साक्ष्य जैसे कि जमाबंदी पंजी की सत्यापित प्रति या लगान रसीद या दाखिल–खारिज आदेश/शुद्धि–पत्र की प्रति, खाता पुस्तिका अथवा अन्य संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराई जाती है तो उसके आधार पर Digitized जमाबंदी सृजित की जाएगी। इन मामलों में सत्यापन हेतु प्रसंग में उल्लिखित प्रक्रिया अपनायी जा सकती है।

(ग) तृतीय प्रकार के आवेदन वैसे हो सकते हैं जिनमें आवेदक द्वारा जमाबंदी सृजित रहने से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जा सका हो एवं मूल पंजी में भी जमाबंदी न उपलब्ध हो, परंतु आवेदक द्वारा जमीन की स्वामित्व से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराया जा रहा हो, जैसे कि खतियान की प्रति या दाखिल–खारिज के आदेश की प्रति अथवा ऐसे साक्ष्य जिसमें की उसी खतियान के आधार पर खतियानी रैयत के अन्य हिस्सेदारों/वंशजों/क्रेताओं की जमाबंदी सृजित हो। इन मामलों में उपलब्ध कागजात, Collateral Evidence (यथा–उसी खतियान के आधार पर अन्य हिस्सेदारों/वंशजों/क्रेताओं की जमाबंदी सृजित होना) तथा प्रासंगिक पत्रों के द्वारा निदेशित किये गये अन्य सत्यापन के प्रक्रिया के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा जमाबंदी ऑनलाईन की जायेगी।

(घ) रैयत द्वारा जमाबंदी को डिजिटाईज्ड कर ऑनलाईन किये जाने हेतु दिये गये आवेदन में अगर रैयत के नाम में आंशिक विवरण भरा गया है ऐसे में अंचलाधिकारी द्वारा रैयत के नाम में सुधार को अस्वीकृत किया जायेगा। ऐसा इसलिए कि अगर आवेदन स्वीकार किया जाता है तो जमाबंदी के स्वामित्व का गलत प्रख्यापन होगा। उदाहरण के लिए अगर आवेदक द्वारा आवेदन में दो रैयत के नाम से जमाबंदी ऑनलाईन करने हेतु परिमार्जन प्लस पर आवेदन दिया गया है लेकिन जमाबंदी पंजी में चार रैयत है ऐसे में अगर अंचल अधिकारी द्वारा आवेदन सुधार हेतु वापस करने के उपरांत भी आवेदक द्वारा दो अन्य रैयत का नाम नहीं जोड़ा जाता है तो किसी भी रैयत के नाम को ऑनलाईन किये जाने हेतु स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(ङ.) लगान की राशि, वर्ष एवं तत्संबंधी प्रविष्टि मूल जमाबंदी पंजी में अंकित अंतिम लगान के विवरणी या रैयत द्वारा साक्ष्य के रूप में समर्पित लगान रसीद के सत्यापन के उपरान्त की जायेगी। वैसे मामलें जिनमें रैयत द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही कराया गया है और ना ही मूल पंजी में लगान से संबंधित विवरण दर्ज है, ऐसे में प्रारम्भिक तिथि से लगान की राशि वसूल की जायेगी।

5. प्राप्त आवेदनों के आलोक में जमाबंदी ऑनलाईन करने से पूर्व इस पत्र के साथ संलग्न चेक लिस्ट को अपलोड करना अनिवार्य होगा।

6. "परिमार्जन प्लस" पोर्टल लागू होने के उपरांत रैयत द्वारा ऑनलाईन किये जाने हेतु छूटे हुए जमाबंदी को ऑनलाईन किये जाने संबंधी सुधार हेतु रैयत द्वारा आवेदन किए जाने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :–

(i). आवेदन करने हेतु रैयत सर्वप्रथम बिहारभूमि पोर्टल पर रजिस्टर कर लॉगिन करेंगे तथा "परिमार्जन प्लस" मेनू पर क्लिक करेंगे।

(ii). लॉगिन के उपरांत रैयत "कम्प्युटराईजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाईजेशन" पर क्लिक करेंगे।

(iii). तदोपरान्त रैयत जिला, अंचल, हल्का, मौजा का चयन कर Prepare Draft Application बटन पर क्लिक करेंगे।

(iv). रैयत को चार सेक्सन यथा–(क) जमाबंदी का वॉल्यूम संख्या, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी संख्या (ख) अपना नाम, पिता का नाम, पता इत्यादि (ग) खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, कुल क्षेत्रफल एवं (घ) लगान से संबंधित विवरण भरने का विकल्प मिलेगा। रैयत प्रत्येक सेक्सन के डिटेल्स को भरकर <u>Next</u> बटन पर क्लिक करेंगे। चारों सेक्सन भरने के उपरांत साक्ष्य अपलोड करने का विकल्प मिलेगा। संबंधित विवरण/विवरणी को भरने तथा साक्ष्य अपलोड करने के उपरान्त आवेदन अंचल अधिकारी को Submit करेंगे। आवेदक अंतिम रूप से आवेदन Submit करने के पूर्व उसे Draft के रूप में Save कर सकते हैं एवं उसमें Edit (सुधार) भी कर सकते हैं।

7. <u>आवेदन की प्रारंभिक जाँच एवं निस्तार की प्रक्रिया :–</u>

7.1 परिमार्जन प्लस पोर्टल से प्राप्त आवेदन सर्वप्रथम अंचल अधिकारी के E-Jamabandi Module लॉगिन में "Parimarjan" मेनू के अंतर्गत SubMenu "Add Left-out Jamabandi" में प्रदर्शित होंगे। अंचल अधिकारी आवेदन के अवलोकनोपरांत राजस्व कर्मचारी को जमाबंदी ऑनलाईन किये जाने हेतु आवेदन एवं सभी जमा किये गये साक्ष्य को जाँच प्रतिवेदन के लिए अग्रसारित करेंगे। अग्रसारण एक–एक कर अथवा bulk में एक से ज्यादा आवेदनों को एक साथ किया जा सकता है। राजस्व कर्मचारी (Maker) राजस्व अधिकारी (Checker) तथा अंचल अधिकारी (Approver) के रूप में अपने डिजिटल साइन का प्रयोग कर E-Jamabandi Module लॉगिन में "Parimarjan" मेनू के अंतर्गत SubMenu "Add Left-out Jamabandi" से अशुद्धियों में सुधार करेंगे।

7.2.1 राजस्व कर्मचारी को जमाबंदी डिजिटाइज्ड करने हेतु आवेदक द्वारा आवेदित विवरणी स्क्रीन पर दिखेंगी। यहां आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गए जमाबंदी के साक्ष्य की जाँच मूल जमाबंदी पंजी से की जाएगी। जमाबंदी मूल जमाबंदी में पाये जाने पर कर्मचारी द्वारा उस जमाबंदी से संबंधित विवरणी यथा– होल्डिंग नं0, जमाबंदी नं0, पूर्व का वॉल्यूम नं0, पेज नं0, तौजी नं0 इत्यादि भरेंगे तथा मूल जमाबंदी की पीडीएफ़ प्रति अपलोड कर Next बटन पर क्लिक करेंगे।

7.2.2 आवेदक द्वारा जमाबंदी के होने संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन जमाबंदी मूल पंजी में नहीं पाई जाती है तो अंचल कार्यालय द्वारा आवेदक के दस्तावेज़ के आधार पर जमाबंदी सृजित करने की कार्रवाई की जायेगी। अंचलाधिकारी साक्ष्य के आधार पर अथवा आवश्यकता होने पर ही भौतिक निरीक्षण/मापी की सहायता लेकर जमाबंदी कायम होने से आश्वस्त हो सकते है। इसके लिए विभागीय पत्रांक–2153(9), दिनांक–08.08.2024 द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

7.2.3 ऊपर उल्लिखित दोनों मामलें में आवेदक द्वारा भरा गया विवरण सही पाये जाने पर राजस्व कर्मचारी उसे Accept करेंगे तथा जिस विवरण में अपर्याप्त साक्ष्य हो, उसे कारण–सहित अंचल अधिकारी के माध्यम से आवेदक को Revert करेंगे। राजस्व कर्मचारी आवेदन में समर्पित सभी विवरण सही होने पर Accept करेंगे तथा इसके Approval के लिए राजस्व अधिकारी के पास अग्रसारित करेंगे।

7.2.4 राजस्व अधिकारी जाँचोपरान्त अपने मन्तव्य के साथ अंचल अधिकारी को Final Approval के लिए भेजेंगे। राजस्व अधिकारी के पास राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन में सुधार का कोई विकल्प नहीं होगा। यदि राजस्व अधिकारी, राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन से असंतुष्ट हो तो ऐसी स्थिति में अपना मन्तव्य लिख कर अंचल अधिकारी के पास आवेदन को अग्रसारित करेंगे।

7.2.5 राजस्व अधिकारी तथा राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन को अंचल अधिकारी देख सकते है तथा राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन में सुधार कर भी Final Approval कर सकते हैं। Final approval के पश्चात जमाबंदी ऑनलाईन प्रदर्शित होने लगेगी। जाँच के क्रम में, यदि राजस्व

कर्मचारी को ज्ञात होता है कि ऑनलाईन किए जाने हेतु समर्पित आवेदन में कुछ विवरण सही हैं तथा कुछ विवरण गलत है, तो सही विवरण वाले आवेदन को Accept करेंगे तथा गलत विवरण वाले आवेदन में सुधार हेतु कारण–सहित सम्पूर्ण आवेदन राजस्व अधिकारी, अंचल अधिकारी के माध्यम से आवेदक को Revert करेंगे।

7.3 अंचल अधिकारी द्वारा लौटाए गए आवेदन में आवेदक वांछित सुधार/ साक्ष्य संलग्न कर पुनः अंचल अधिकारी के समक्ष ऑनलाइन Submit करने की स्थिति में दुबारा आवेदन प्राप्त होने पर अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी को अग्रसारित करेंगे। राजस्व कर्मचारी पुनः जाँच कर अपने प्रतिवेदन के साथ आवेदन राजस्व अधिकारी को अग्रसारित करेंगे। राजस्व अधिकारी अपने मन्तव्य के साथ अंचल अधिकारी को अग्रसारित करेंगे। जमाबंदी ऑनलाईन करने हेतु प्राप्त आवेदन में जो विवरण Acceptable होगा, अंचल अधिकारी के Approval के बाद दायर जमाबंदी में ऑनलाईन परिलक्षित होने लगेगा तथा जो विवरण साक्ष्य के अभाव में स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, उसे अंचल अधिकारी द्वारा Reject कर दिया जाएगा। अंचल अधिकारी को आवेदक द्वारा दुबारा सुधार के पश्चात् जमा किये गये आवेदन को पुनः आवेदक के पास लौटाने का विकल्प नहीं होगा।

7.4 आवेदक द्वारा किये गये आवेदन से भिन्न अगर कोई सुधार अंचल अधिकारी को ज्ञात होती है, लेकिन आवेदक के आवेदन में उस सुधार का जिक्र नहीं है। ऐसे में आवेदक को संसूचित कर उक्त सुधार हेतु आवेदन प्राप्त किया जायेगा अगर फिर भी आवेदक द्वारा संबंधित त्रुटि के सुधार हेतु आवेदन नहीं किया जाता है तो अंचल अधिकारी अपने स्तर से कंडिका–7.5 का पालन करते हुए जमाबंदी को ऑनलाईन करेंगे। सभी प्रकार के त्रुटियों का सुधार अंचल अधिकारी द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करके ही किया जायेगा। त्रुटि सुधार का कारण स्पष्ट करना होगा।

7.5 जमाबंदी ऑनलाईन नहीं किये जाने के मामलें स्वतः ज्ञात होने पर अंचल अधिकारी द्वारा अभिलेख तैयार कर राजस्व कर्मचारी (Maker), राजस्व अधिकारी (Checker) तथा अंचल अधिकारी (Approver) द्वारा ऑनलाईन किया जायेगा। ऑनलाईन करते समय कर्मचारी को पूर्व की जमाबंदी की PDF, अभिलेख तथा Cheklist अपलोड करना होगा। साथ ही, ऑनलाईन किये जाने से संबंधित विवरण दर्ज करना होगा। यह कार्य E-Jamabandi Module के अंतर्गत Add Jamabandi मेनू से किया जायेगा।

8. "परिमार्जन प्लस" पोर्टल के माध्यम से ऐसी जमाबंदियाँ जिनमें अंचल अधिकारी द्वारा सुधार किया गया है, वैसी जमाबंदियों में से **माहवार 20% जमाबंदियों का** Verification **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता तथा 10% जमाबंदियों का** Verification **अपर समाहर्त्ता** द्वारा किया जाएगा।

9. त्रुटि सुधार के वैसे मामलों, जो वर्तमान परिपत्र में समाहित है, के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी परिपत्र इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

अतएव परिमार्जन प्लस पोर्टल पर प्राप्त सभी मामलों का उपरोक्त निदेश के आलोक में अंचल स्तर पर एक विशेष अभियान संचालित कर तय समय–सीमा में निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे। परिमार्जन प्लस पोर्टल पर दायर मामलों के निष्पादन में किसी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों/कर्मियों को चिन्हित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ऑनलाईन किए जाने हेतु छूटे हुये जमाबंदी को ऑनलाईन किए जाने संबंधी चेकलिस्ट

1. क्या आप संतुष्ट है कि आवेदित जमाबंदी को पूर्व में ऑनलाईन नहीं की गई है? (हाँ / नहीं)
2. क्या मूल जमाबंदी पंजी में जमाबंदी उपलब्ध है? (हाँ / नहीं)
3. जमाबंदी के होने संबंधी उपलब्ध कराये गए साक्ष्य के आधार पर जमाबंदी होने का अभिलेख (विभागीय पत्र सं0–19(9), दिनांक–03.01.2018 के आलोक में) तैयार कर लिया गया है? (हाँ / नहीं)
4. क्या जमाबंदी में उपलब्ध खेसरा की जाँच खतियान / सरकारी भूमि पंजी से की गई तथा खेसरा सरकारी भूमि से मुक्त है? (हाँ / नहीं)

राजस्व कर्मचारी :
परिमार्जन आईडी :
राजस्व कर्मचारी का हस्ताक्षर :

पत्रांक–9 / सै0–विविध (जमाबंदी डिजिटाईजेशन)–07 / 2022–......................(9) / रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह, भा0प्र0से0
अपर मुख्य सचिव।

ई–मेल सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–..............................

विषय :– बिहारभूमि पोर्टल पर डिजिटाईज्ड नहीं किये गये जमाबंदी को "परिमार्जन प्लस" पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– (i) विभागीय पत्रांक–1426(9), दिनांक–05.06.2024
(ii) विभागीय पत्रांक–2153(9), दिनांक–08.08.2024

महाशय,

आप अवगत हैं कि राज्य के आम नागरिकों एवं भू–धारियों को सुविधा प्रदान करने एवं भूमि संबंधी मामलों के निष्पादन में तीव्रता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा ऑनलाईन पोर्टल https://biharbhumi.bihar.gov.in/ विकसित किया गया है।

2. जमाबंदी पंजी के ऑनलाईन डिजिटाइजेशन के क्रम में कतिपय डिजिटाईज्ड जमाबंदियों में रैयतों के नाम, पिता के नाम, जाति, पता, खाता, खेसरा, रकबा एवं लगान इत्यादि से संबंधित विवरणी में परिलक्षित अशुद्धियाँ / त्रुटियाँ के सुधार हेतु "परिमार्जन प्लस" पोर्टल में Module को Live किया जा चुका है। इस संबंध में "परिमार्जन प्लस" पोर्टल लागू होने के उपरांत रैयत द्वारा ऑनलाईन की गयी पुरानी जमाबंदी में सुधार हेतु आवेदन किये जाने की प्रक्रिया, इसकी प्रारम्भिक जाँच एवं निस्तार की प्रक्रिया संबंधी विस्तृत दिशा–निदेश पूर्व से **विभागीय पत्रांक–1426(9), दिनांक–05.06.2024 के द्वारा** संसूचित हैं।

3. परिमार्जन की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए दिशा–निर्देश भी विभागीय पत्रांक–2153(9), दिनांक–08.08.2024 के द्वारा संसूचित है।

4. द्वितीय चरण में बिहार भूमि पोर्टल पर वैसे परिमार्जन के लिए Module Live किया गया है, जिसमें रैयत की जमाबंदी Digitized नहीं हुई है। इसके अंतर्गत प्राप्त आवेदन में निम्न प्रकार के मामले हो सकते हैं–

(क) रैयत की जमाबंदी ऑफलाईन पंजी में उपलब्ध है, परंतु किसी कारणवश पूर्व में इसे Digitized नहीं किया जा सका है। ऐसी स्थिति में रैयत द्वारा दिए गए आवेदन एवं अन्य साक्ष्य तथा मूल जमाबंदी पंजी में उपलब्ध जमाबंदी की विवरणी के अनुसार जमाबंदी को ऑनलाइन किया जाएगा। इस मामले में मूल जमाबंदी पंजी में दर्ज विवरणी में अगर किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता हो यथा– जाति, खाता–खेसरा की त्रुटि अथवा छूट गए खाता–खेसरा को अंकित करना, रकबा में किसी प्रकार की त्रुटि या लगान की त्रुटि तो उसे रैयत द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के आधार पर ऑनलाइन करते वक्त ही सुधार कर दिया जाएगा। डिजिटाईज्ड जमाबंदी में रैयत के नाम / पिता के नाम की प्रविष्टि मूल जमाबंदी के अनुरूप ही किया जायेगा। इसके लिए उसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो पूर्व में निर्गत दो पत्र, जिसका उल्लेख प्रसंग में किया

गया है, में दिया जा चुका है। इन मामलों में डिजिटाईज्ड करते वक्त अंचल कार्यालय द्वारा मूल (ऑफलाईन) जमाबंदी की PDF प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(ख) दूसरे प्रकार के मामले वैसे हो सकते हैं जिसमें रैयत की जमाबंदी मूल पंजी में अपठनीय/जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है अथवा उसका पन्ना उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यदि आवेदक द्वारा पूर्व में जमाबंदी होने से संबंधित साक्ष्य जैसे कि जमाबंदी पंजी की सत्यापित प्रति या लगान रसीद या दाखिल–खारिज आदेश/शुद्धि–पत्र की प्रति, खाता पुस्तिका अथवा अन्य संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराई जाती है तो उसके आधार पर Digitized जमाबंदी सृजित की जाएगी। इन मामलों में सत्यापन हेतु प्रसंग में उल्लिखित प्रक्रिया अपनायी जा सकती है।

(ग) तृतीय प्रकार के आवेदन वैसे हो सकते हैं जिनमें आवेदक द्वारा जमाबंदी सृजित रहने से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जा सका हो एवं मूल पंजी में भी जमाबंदी न उपलब्ध हो, परंतु आवेदक द्वारा जमीन की स्वामित्व से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराया जा रहा हो, जैसे कि खतियान की प्रति या दाखिल–खारिज के आदेश की प्रति अथवा ऐसे साक्ष्य जिसमें की उसी खतियान के आधार पर खतियानी रैयत के अन्य हिस्सेदारों/वंशजों/क्रेताओं की जमाबंदी सृजित हो। इन मामलों में उपलब्ध कागजात, Collateral Evidence (यथा–उसी खतियान के आधार पर अन्य हिस्सेदारों/वंशजों/क्रेताओं की जमाबंदी सृजित होना) तथा प्रासंगिक पत्रों के द्वारा निदेशित किये गये अन्य सत्यापन के प्रक्रिया के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा जमाबंदी ऑनलाईन की जायेगी।

(घ) रैयत द्वारा जमाबंदी को डिजिटाईज्ड कर ऑनलाईन किये जाने हेतु दिये गये आवेदन में अगर रैयत के नाम में आंशिक विवरण भरा गया है ऐसे में अंचलाधिकारी द्वारा रैयत के नाम में सुधार को अस्वीकृत किया जायेगा। ऐसा इसलिए कि अगर आवेदन स्वीकार किया जाता है तो जमाबंदी के स्वामित्व का गलत प्रख्यापन होगा। उदाहरण के लिए अगर आवेदक द्वारा आवेदन में दो रैयत के नाम से जमाबंदी ऑनलाईन करने हेतु परिमार्जन प्लस पर आवेदन दिया गया है लेकिन जमाबंदी पंजी में चार रैयत है ऐसे में अगर अंचल अधिकारी द्वारा आवेदन सुधार हेतु वापस करने के उपरांत भी आवेदक द्वारा दो अन्य रैयत का नाम नहीं जोड़ा जाता है तो किसी भी रैयत के नाम को ऑनलाईन किये जाने हेतु स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(ड.) लगान की राशि, वर्ष एवं तत्संबंधी प्रविष्टि मूल जमाबंदी पंजी में अंकित अंतिम लगान के विवरणी या रैयत द्वारा साक्ष्य के रूप में समर्पित लगान रसीद के सत्यापन के उपरान्त की जायेगी। वैसे मामलें जिनमें रैयत द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही कराया गया है और ना ही मूल पंजी में लगान से संबंधित विवरण दर्ज है, ऐसे में प्रारम्भिक तिथि से लगान की राशि वसूल की जायेगी।

5. प्राप्त आवेदनों के आलोक में जमाबंदी ऑनलाईन करने से पूर्व इस पत्र के साथ संलग्न चेक लिस्ट को अपलोड करना अनिवार्य होगा।

6. "परिमार्जन प्लस" पोर्टल लागू होने के उपरांत रैयत द्वारा ऑनलाईन किये जाने हेतु छूटे हुए जमाबंदी को ऑनलाईन किये जाने संबंधी सुधार हेतु रैयत द्वारा आवेदन किए जाने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :–

(i). आवेदन करने हेतु रैयत सर्वप्रथम बिहारभूमि पोर्टल पर रजिस्टर कर लॉगिन करेंगे तथा "परिमार्जन प्लस" मेनू पर क्लिक करेंगे।

(ii). लॉगिन के उपरांत रैयत "कम्प्युटराईजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाईजेशन" पर क्लिक करेंगे।

(iii). तदोपरान्त रैयत जिला, अंचल, हल्का, मौजा का चयन कर Prepare Draft Application बटन पर क्लिक करेंगे।

(iv). रैयत को चार सेक्सन यथा–(क) जमाबंदी का वॉल्यूम संख्या, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी संख्या (ख) अपना नाम, पिता का नाम, पता इत्यादि (ग) खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, कुल क्षेत्रफल एवं (घ) लगान से संबंधित विवरण भरने का विकल्प मिलेगा। रैयत प्रत्येक सेक्सन के डिटेल्स को भरकर Next बटन पर क्लिक करेंगे। चारों सेक्सन भरने के उपरांत साक्ष्य अपलोड करने का विकल्प मिलेगा। संबंधित विवरण/विवरणी को भरने तथा साक्ष्य अपलोड करने के उपरान्त आवेदन अंचल अधिकारी को Submit करेंगे। आवेदक अंतिम रूप से आवेदन Submit करने के पूर्व उसे Draft के रूप में Save कर सकते हैं एवं उसमें Edit (सुधार) भी कर सकते हैं।

7. आवेदन की प्रारंभिक जाँच एवं निस्तार की प्रक्रिया :–

7.1 परिमार्जन प्लस पोर्टल से प्राप्त आवेदन सर्वप्रथम अंचल अधिकारी के E-Jamabandi Module लॉगिन में "Parimarjan" मेनू के अंतर्गत SubMenu "Add Left-out Jamabandi" में प्रदर्शित होंगे। अंचल अधिकारी आवेदन के अवलोकनोपरांत राजस्व कर्मचारी को जमाबंदी ऑनलाईन किये जाने हेतु आवेदन एवं सभी जमा किये गये साक्ष्य को जाँच प्रतिवेदन के लिए अग्रसारित करेंगे। अग्रसारण एक–एक कर अथवा bulk में एक से ज्यादा आवेदनों को एक साथ किया जा सकता है। राजस्व कर्मचारी (Maker) राजस्व अधिकारी (Checker) तथा अंचल अधिकारी (Approver) के रूप में अपने डिजिटल साइन का प्रयोग कर E-Jamabandi Module लॉगिन में "Parimarjan" मेनू के अंतर्गत SubMenu "Add Left-out Jamabandi" से अशुद्धियों में सुधार करेंगे।

7.2.1 राजस्व कर्मचारी को जमाबंदी डिजिटाइज्ड करने हेतु आवेदक द्वारा आवेदित विवरणी स्क्रीन पर दिखेंगी। यहां आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गए जमाबंदी के साक्ष्य की जाँच मूल जमाबंदी पंजी से की जाएगी। जमाबंदी मूल जमाबंदी में पाये जाने पर कर्मचारी द्वारा उस जमाबंदी से संबंधित विवरणी यथा– होल्डिंग नं0, जमाबंदी नं0, पूर्व का वॉल्यूम नं0, पेज नं0, तौजी नं0 इत्यादि भरेंगे तथा मूल जमाबंदी की पीडीएफ़ प्रति अपलोड कर Next बटन पर क्लिक करेंगे।

7.2.2 आवेदक द्वारा जमाबंदी के होने संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन जमाबंदी मूल पंजी में नहीं पाई जाती है तो अंचल कार्यालय द्वारा आवेदक के दस्तावेज़ के आधार पर जमाबंदी सृजित करने की कार्रवाई की जायेगी। अंचलाधिकारी साक्ष्य के आधार पर अथवा आवश्यकता होने पर ही भौतिक निरीक्षण/मापी की सहायता लेकर जमाबंदी कायम होने से आश्वस्त हो सकते है। इसके लिए विभागीय पत्रांक–2153(9), दिनांक–08.08.2024 द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

7.2.3 ऊपर उल्लिखित दोनों मामलें में आवेदक द्वारा भरा गया विवरण सही पाये जाने पर राजस्व कर्मचारी उसे Accept करेंगे तथा जिस विवरण में अपर्याप्त साक्ष्य हो, उसे कारण–सहित अंचल अधिकारी के माध्यम से आवेदक को Revert करेंगे। राजस्व कर्मचारी आवेदन में समर्पित सभी विवरण सही होने पर Accept करेंगे तथा इसके Approval के लिए राजस्व अधिकारी के पास अग्रसारित करेंगे।

7.2.4 राजस्व अधिकारी जाँचोपरान्त अपने मन्तव्य के साथ अंचल अधिकारी को Final Approval के लिए भेजेंगे। राजस्व अधिकारी के पास राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन में सुधार का कोई विकल्प नहीं होगा। यदि राजस्व अधिकारी, राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन से असंतुष्ट हो तो ऐसी स्थिति में अपना मन्तव्य लिख कर अंचल अधिकारी के पास आवेदन को अग्रसारित करेंगे।

7.2.5 राजस्व अधिकारी तथा राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन को अंचल अधिकारी देख सकते है तथा राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन में सुधार कर भी Final Approval कर सकते हैं। Final approval के पश्चात जमाबंदी ऑनलाईन प्रदर्शित होने लगेगी। जाँच के क्रम में, यदि राजस्व

कर्मचारी को ज्ञात होता है कि ऑनलाईन किए जाने हेतु समर्पित आवेदन में कुछ विवरण सही हैं तथा कुछ विवरण गलत है, तो सही विवरण वाले आवेदन को Accept करेंगे तथा गलत विवरण वाले आवेदन में सुधार हेतु कारण–सहित सम्पूर्ण आवेदन राजस्व अधिकारी, अंचल अधिकारी के माध्यम से आवेदक को Revert करेंगे।

7.3 अंचल अधिकारी द्वारा लौटाए गए आवेदन में आवेदक वांछित सुधार/ साक्ष्य संलग्न कर पुनः अंचल अधिकारी के समक्ष ऑनलाइन Submit करने की स्थिति में दुबारा आवेदन प्राप्त होने पर अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी को अग्रसारित करेंगे। राजस्व कर्मचारी पुनः जाँच कर अपने प्रतिवेदन के साथ आवेदन राजस्व अधिकारी को अग्रसारित करेंगे। राजस्व अधिकारी अपने मन्तव्य के साथ अंचल अधिकारी को अग्रसारित करेंगे। जमाबंदी ऑनलाईन करने हेतु प्राप्त आवेदन में जो विवरण Acceptable होगा, अंचल अधिकारी के Approval के बाद दायर जमाबंदी में ऑनलाईन परिलक्षित होने लगेगा तथा जो विवरण साक्ष्य के अभाव में स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, उसे अंचल अधिकारी द्वारा Reject कर दिया जाएगा। अंचल अधिकारी को आवेदक द्वारा दुबारा सुधार के पश्चात् जमा किये गये आवेदन को पुनः आवेदक के पास लौटाने का विकल्प नहीं होगा।

7.4 आवेदक द्वारा किये गये आवेदन से भिन्न अगर कोई सुधार अंचल अधिकारी को ज्ञात होती है, लेकिन आवेदक के आवेदन में उस सुधार का जिक्र नहीं है। ऐसे में आवेदक को संसूचित कर उक्त सुधार हेतु आवेदन प्राप्त किया जायेगा अगर फिर भी आवेदक द्वारा संबंधित त्रुटि के सुधार हेतु आवेदन नहीं किया जाता है तो अंचल अधिकारी अपने स्तर से कंडिका–7.5 का पालन करते हुए जमाबंदी को ऑनलाईन करेंगे। सभी प्रकार के त्रुटियों का सुधार अंचल अधिकारी द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करके ही किया जायेगा। त्रुटि सुधार का कारण स्पष्ट करना होगा।

7.5 जमाबंदी ऑनलाईन नहीं किये जाने के मामलें स्वतः ज्ञात होने पर अंचल अधिकारी द्वारा अभिलेख तैय़ार कर राजस्व कर्मचारी (Maker), राजस्व अधिकारी (Checker) तथा अंचल अधिकारी (Approver) द्वारा ऑनलाईन किया जायेगा। ऑनलाईन करते समय कर्मचारी को पूर्व की जमाबंदी की PDF, अभिलेख तथा Cheklist अपलोड करना होगा। साथ ही, ऑनलाईन किये जाने से संबंधित विवरण दर्ज करना होगा। यह कार्य E-Jamabandi Module के अंतर्गत Add Jamabandi मेनू से किया जायेगा।

8. "परिमार्जन प्लस" पोर्टल के माध्यम से ऐसी जमाबंदियाँ जिनमें अंचल अधिकारी द्वारा सुधार किया गया है, वैसी जमाबंदियों में से **माहवार 20% जमाबंदियों का** Verification **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता तथा 10% जमाबंदियों का** Verification **अपर समाहर्त्ता** द्वारा किया जाएगा।

9. त्रुटि सुधार के वैसे मामलों, जो वर्तमान परिपत्र में समाहित है, के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी परिपत्र इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

अतएव परिमाजन प्लस पोर्टल पर प्राप्त सभी मामलों का उपरोक्त निदेश के आलोक में अंचल स्तर पर एक विशेष अभियान संचालित कर तय समय–सीमा में निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे। परिमार्जन प्लस पोर्टल पर दायर मामलों के निष्पादन में किसी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों/कर्मियों को चिन्हित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः–9/सै0–विविध (जमाबंदी डिजिटाईजेशन)–07/2022–2397(9)/रा0, पटना–15, दिनांक– 28-08-2024

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी जिला के प्रभारी सचिव/ सभी अपर समाहर्त्ता/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी अंचलाधिकारी एवं राजस्व अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ऑनलाईन किए जाने हेतु छूटे हुये जमाबंदी को ऑनलाईन किए जाने संबंधी चेकलिस्ट

1. क्या आप संतुष्ट है कि आवेदित जमाबंदी को पूर्व में ऑनलाईन नहीं की गई है? (हाँ/नहीं)
2. क्या मूल जमाबंदी पंजी में जमाबंदी उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)
3. जमाबंदी के होने संबंधी उपलब्ध कराये गए साक्ष्य के आधार पर जमाबंदी होने का अभिलेख (विभागीय पत्र सं0–19(9), दिनांक–03.01.2018 के आलोक में) तैयार कर लिया गया है? (हाँ/नहीं)
4. क्या जमाबंदी में उपलब्ध खेसरा की जाँच खतियान/सरकारी भूमि पंजी से की गई तथा खेसरा सरकारी भूमि से मुक्त है? (हाँ/नहीं)

राजस्व कर्मचारी :
परिमार्जन आईडी :
राजस्व कर्मचारी का हस्ताक्षर :